राजस्थान राज–पत्र
विशेषांक
साधिकार प्रकाशित

RAJASTHAN GAZETTE
Extraordinary
Published by Authority

सत्यमेव जयते

अग्रहायण 16, बुधवार, शाके 1933–दिसम्बर 7, 2011
Agrahayana 16, Wednesday, Saka 1933–December 7, 2011

भाग 1(ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

वन विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 30, 2011

संख्या एफ.3 (6)वन/2011:–वन्यजीव (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम संख्या 53) की धारा 35 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार एतद्द्वारा निम्नांकित अनुसूची में वर्णित सीमाओं के अन्तर्गत आने वाली पाली, उदयपुर व राजसमन्द जिलों की भूमियों को उनकी पारिस्थितिकी, प्राणी जातीय, वन एवं स्थानीय भू संरचना सम्बन्धित नैसर्गिक एवं प्राणी शास्त्रीय महत्व को ध्यान में रखते हुए वन्य प्राणियों के संरक्षण, वृद्धि एवं उनके विकास तथा उनके पर्यावरण को संरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय उद्यान (नेशनल पार्क) घोषित करने के विचार (इन्टेंशन) की घोषणा करती है, जिसे भविष्य में ''कुम्भलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान'' के नाम से जाना जावेगा एवं जो उक्त अधिनियम या तदधीन बनाए गए नियमों या जारी किए गए नए आदेशों के उपबन्ध का विषय होगा।

कुम्भलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के संबंधित जिला कलेक्टर पाली, उदयपुर व राजसमंद अधिनियम की धारा 19 से 26–क {दोनों सम्मिलित मात्र धारा 24 की उप–धारा (2) के खण्ड (ग) को छोड़कर} की कार्यवाही करेंगे।

अनुसूची

1	2
उत्तरी सीमाः–	करमाल चौराहा से कामलीघाट चौराया तक जाने वाली पक्की सड़क के दक्षिण में वन खण्ड भगोडा के दक्षिणी भाग को सम्मिलित करती हुई इसी वन खण्ड की पूर्वी सीमा जो जिला पाली एवं राजसमन्द को भी सीमांकित करती है, के साथ–साथ जहां तक वह वन खण्ड बाघाना (आरक्षित वन) से जाकर मिलती है, वन खण्ड बाघाना (आरक्षित वन) की उत्तरी सीमा ग्राम बाघाना की सीमा तक।
पूर्व सीमाः–	ग्राम बाघाना के पास वन खण्ड बाघाना (आरक्षित वन) की पूर्वी सीमा के साथ–साथ वन खण्ड छापली (आरक्षित वन) की पूर्वी सीमा के साथ, वन खण्ड दिवेर (आरक्षित वन) की पूर्वी एवं दक्षिणी सीमा, वन खण्ड कोट (आरक्षित वन) की पूर्वी सीमा, वन खण्ड उमरवास (आरक्षित वन) की उत्तरी एवं पूर्वी सीमा, वन खण्ड सैवन्त्री (आरक्षित वन) की पूर्वी सीमा, वन खण्ड धोलिया (रक्षित वन) की पूर्वी सीमा, वन खण्ड रूपनगर (आरक्षित वन) की पूर्वी सीमा, वनखण्ड झीलवाडा (आरक्षित वन) की पूर्वी सीमा, वन खण्ड पालर (आरक्षित वन) की पूर्वी सीमा, वन खण्ड आरेठ की पूर्वी सीमा (जिसमें वन खण्ड कुम्भलगढ़ का किला भी सम्मिलित रहेगा), वन खण्ड ढाणा (आरक्षित वन) की पूर्वी सीमा, वन खण्ड कोटडा (आरक्षित वन) पूर्वी सीमा, वन खण्ड भानपुरा (आरक्षित वन) की पूर्वी सीमा, वन खण्ड मालगढ़ (आरक्षित वन) की पूर्वी सीमा, वन खण्ड मग्गा का माल (रक्षित वन) की पूर्वी सीमा, वन खण्ड मजावडा (आरक्षित वन) की पूर्वी सीमा, वन खण्ड बोखाडा (रक्षित वन) की पूर्वी सीमा, वन खण्ड मामादेव की बूझ (आरक्षित वन) की पूर्वी सीमा।
दक्षिणी सीमाः–	वन खण्ड मामादेव की बूझ (आरक्षित वन) की दक्षिणी सीमा जो ग्राम कोरवा, पांच बोर तक जाती है।

1	2
पश्चिमी सीमाः-	ग्राम कोरवा के पास से वन खण्ड मामादेव की बूझ (आरक्षित वन) की पश्चिमी सीमा होते हुए, वन खण्ड बोखाडा (रक्षित वन) की पश्चिमी सीमा, वन खण्ड मजावडा (आरक्षित वन) की पश्चिमी सीमा, वन खण्ड लाटाडा (आरक्षित वन) की दक्षिणी एवं पश्चिमी सीमा के साथ-साथ, वन खण्ड सादडी (आरक्षित वन) की पश्चिमी सीमा, वन खण्ड घाणेराव (आरक्षित वन) की पश्चिमी सीमा, वनखण्ड देसूरी (आरक्षित वन) की पश्चिमी सीमा, वन खण्ड बागोल (आरक्षित वन) की पश्चिमी सीमा, वन खण्ड कोट (आरक्षित वन) की पश्चिमी सीमा, वन खण्ड जोजावर (आरक्षित वन) की पश्चिमी सीमा, वन खण्ड भगोडा (आरक्षित वन) की पश्चिमी सीमा ग्राम गुडागांगा तक।

राज्यपाल की आज्ञा से,
सी. एस. रत्नासामी,
शासन सचिव।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।